**संख्या- 180/2024/677/35-4-2024/35-4099/18/2024**

प्रेषक,

जे० एल० यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सुल्तानपुर ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ; दिनांक: 13 मई, 2024

विषय:- जनपद सुल्तानपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति विषयक शासनादेश में संशोधन |

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 178/2024/541/35-4-2024/35-4099/18/2024 दिनांक 01-05-2024 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित कार्य यथा- 'वि०ख०- दूबेपुर के ग्राम गौहानी से रज्जू धोबी के घर से लहूरी के घर मिश्राने तक लेपन कार्य' हेतु अवशेष धनराशि रु0 31.55 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है |

उक्त शासनादेश दिनांक 01-05-2024 के प्रस्तर- 2 में त्रुटिवश वित्तीय स्वीकृति की मद 'चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 04- जिला तथा अन्य सड़कें, 337- सड़क निर्माण कार्य, **01- त्वरित आर्थिक विकास योजना,** 0303- ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था, 24- वृहद निर्माण कार्य' अंकित हो गयी है, जबकि सही मद 'चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 04- जिला तथा अन्य सड़कें, 337- सड़क निर्माण कार्य, **03- त्वरित आर्थिक विकास योजना,** 0303- ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था, 24- वृहद निर्माण कार्य' है |

अत: उक्त शासनादेश दिनांक 01-05-2024 के प्रस्तर- 2 में '01- त्वरित आर्थिक विकास योजना' के स्थान पर '03- त्वरित आर्थिक विकास योजना' पढ़ा व समझा जाए |

उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 01-05-2024 इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा |

भवदीय,
जे० एल० यादव
संयुक्त सचिव ।

**संख्या- 180/2024/677(1)/35-4-2024/35-4099/18/2024, तददिनांक |**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर ।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सुलतानपुर ।
11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग|
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सुलतानपुर ।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सुलतानपुर ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
जे० एल० यादव
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।